ई-मेल : gmqc.fci@nic.in
E-Mail : gmqc.fci@nic.in
फैक्स नं. : एचएफसीआई एनडी
Fax No.: HFCI ND
00911143527372
00911123413241

भारतीय खाद्य निगम
FOOD CORPORATION OF INDIA

मुख्यालय नई दिल्ली
Head Quarters New Delhi

16-20, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-43527496,43527370,43527330
16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001, Phone: 011-43527496,43527370,43527330

42

संख्या गु.नि. 1(1)/ आर.एम.एस./2016-17 दिनांक: 03.03.2016

कार्यकारी निदेशक (अंचल),
भारतीय खाद्य निगम,
आंचलिक कार्यालय, उत्तर/पूर्व/दक्षिण/पश्चिम/उत्तर-पूर्व
नोएडा (यू.पी.)/कोलकाता (पश्चिम बंगाल)/चेन्नई (तमिलनाडू)/मुंबई (महाराष्ट्र)/गुवाहाटी (असम)

महाप्रबंधक (क्षेत्र)
भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय
चंडीगढ़ (पंजाब)/पंचकुला (हरियाणा)/लखनऊ (यू.पी.)/जयपुर (राजस्थान)/ शिमला (हिमाचल प्रदेश)/ जम्मू (जे.&के.)/ देहारादून (उत्तराखंड)/ नई दिल्ली (दिल्ली)/पटना (बिहार)/ भुवनेश्वर (ओडिशा)/रांची (झारखंड)/ कोलकाता (पश्चिम बंगाल)/बंगलुरु (कर्नाटक)/तिरुवनन्तपुरम(केरल)/हैदराबाद (ए.पी. & तेलंगाना)/चेन्नई (तमिलनाडू)/ मुंबई (महाराष्ट्र)/ अहमदाबाद (गुजरात)/ रायपुर (छत्तीसगढ़)/भोपाल (एम.पी.)/गुवाहाटी (असम)/शिलोंग (एन ई एफ)/ दीमापुर (एन & एम)/ ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)/मणिपुर

विषय: Uniform Specifications for Wheat and Barley for the Rabi Marketing Season (RMS) 2016-17-reg.

महोदय/महोदया,

Please find enclosed herewith a copy of Joint Commissioner (S&R), Ministry of CA, F & PD letter no. 7-1/2016-S&I dated 26th February, 2016 forwarding therewith **"Uniform Specifications for Wheat and Barley for the RMS 2016-17"**.

These instructions may be brought to the notice of all concerned officials/officers for necessary action and strict compliance.

The receipt of this communication may please be acknowledged.

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्त

03/03/16

(डॉ. ओम प्रकाश)
सहा. महाप्रबंधक (गु. नि.)
कृते महाप्रबंधक (गु. नि.)

प्रतिलिपि:

1. कार्यकारी निदेशक (खरीद/वित्त/सतर्कता/वाणिज्य/बिक्री) के निजी सचिव, भा.खा.नि.,मुख्यालय, नई दिल्ली।
2. महाप्रबंधक (खरीद/वित्त/सतर्कता/परिचालन/बिक्री)- भा.खा.नि.,मुख्यालय, नई दिल्ली।
3. निदेशक,खाद्य सुरक्षा संस्थान, गुड़गाँव, हरियाणा।
4. संयुक्त आयुक्त (एस.&आर.), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं जन वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली- कृपया सूचनार्थ।
5. सभी कर्मचारी/अधिकारी, गुण नियंत्रण विभाग, भा.खा.नि.,मुख्यालय, नई दिल्ली।
6. गार्ड फ़ाइल।
7. इंट्रानेट/ भा.खा.नि. वैबसाइट।

03/03/16

कृते महाप्रबंधक (गु. नि.)

महाप्रबन्धक (गु०नि०) कक्ष
डायरी संख्या नं० 354
दिनांक 02/03/16

No.7-1/2016-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food and Public Distribution
*****

Krishi Bhawan, New Delhi,
Dated : 26th February, 2016.

To

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of ....
....

Subject: **Uniform Specifications for Wheat and Barley for the Rabi Marketing Season (RMS) 2016-17**

Sir,

The Uniform Specifications decided by the Government for procurement of wheat and barley stocks for the Central Pool during Rabi Marketing Season 2016-17 are forwarded herewith.

It is requested that the procurement of wheat & barley stocks by all procuring agencies be ensured strictly in accordance with these specifications. It is also requested that wide publicity of the Uniform Specifications and Minimum Support Price (MSP) be made among the farmers in order to ensure that the farmers get the due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The farmers may also be advised to offer only dry and clean stocks.

Receipt of this communication may please be acknowledged.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Dr. Subhash Gupta)
Joint Commissioner (S&R)
Tel. 23389625

Contd....

Copy to:

1. The Chairman –cum-Managing Director, FCI, New Delhi.
2. The Executive Director (Commercial), FCI, New Delhi.
3. The Executive Director (QC), FCI, New Delhi.
4. General Manager (QC), FCI, New Delhi.
5. General Manager (Marketing & Procurement), FCI, New Delhi
6. All Zonal Executive Directors, FCI.
7. The Managing Director, Central Warehousing Corporation, New Delhi.
8. The Secretary to the Govt. of India, Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhawan, New Delhi.
9. Senior PPS to Secretary (F & PD)/PPS to AS & FA/ JS (P & FCI) / JS (Stg.)/ JS (BP & PD)/ JS (Impex, EOP & SRA).
10. Director (P)/ Director (FCI)/ Director (PD) / Director (Finance) / Director (Mov.) / JC (S&R).
11. All IGMRI/QCC Offices.
12. AD (Lab)/AD (QC).
13. US (Py. I, II, IV)/US(FC Accounts).
14. Director (Technical), NIC With the request to put the information in Ministry's website.

(Neelam Kalra)
Technical Officer (S&R)
Ph. 23070474

UNIFORM SPECIFICATION FOR INDIAN WHEAT OF ALL VARIETIES FOR RABI MARKETING SEASON 2016-2017

Wheat shall:

a) be the dried mature grains of Triticum vulgare, T. compactum, T. sphaerococcum, T. durum, T. aestivum and T. dicoccum.

b) have natural size, shape, colour and lustre.

c) be sweet, clean, wholesome and free from obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances including toxic weed seeds and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below.

d) be in sound merchantable condition.

e) not have any admixture of Argemone mexicana and Lathyrus sativus (khesari) in any form, colouring matter and any obnoxious , deleterious and toxic material.

f) Conform to Food Safety and Standards Act/ Rules (formerly PFA).

Schedule showing the maximum permissible limits of different refractions in Fair Average Quality of Wheat.

Foreign Matter %	Other food grains %	Damaged grains %	Slightly damaged grains %	Shrivelled & Broken grains %
0.75	2.00	2.00	4.00	6.00

NOTE:

1. Moisture in excess of 12% and upto 14% will be discounted at full value. Stocks containing moisture in excess of 14% are to be rejected.

2. Within the overall limit specified for foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.4% of which Dhatura and Akra (Vicia species) shall not be more than 0.025% and 0.2% by weight respectively.

3. Kernels with glumes will not be treated as unsound grains during physical analysis, the glumes will be removed and treated as organic foreign matter.

4. Within the overall limit specified for damaged grains, ergot affected grains shall not exceed 0.05 %.

5. In case of stocks having living infestation, a cut at the rate of Rupee two per quintal may be charged as fumigation charges.

26/12/16

Contd/...

6. For weevilled grains determined by count, stocks containing weevilled grains in excess of 1% will be rejected. The rate of cut for weevilled grains will be @ Rs.2 per quintal.

Method of Analysis

As given in Bureau of Indian Standard No. IS. 4333 (Part I and II) 1967 and as amended from time to time except for weevilled grains which are to be determined by count method.

DEFINITIONS OF REFRACTIONS:

As contained in BIS Specifications No. 2813-1995 and as amended from time to time.

26/2/16

============

Uniform Specification for Barley for Rabi Marketing Season 2016-2017

Barley shall:

a. be the dried mature grains of Hordeum vulgare.

b. have uniform size, shape and colour.

c. be sweet, clean, wholesome and free from obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below.

d. be in sound merchantable condition.

e. not have any admixture of Argemone mexicana and Lathyrus sativus (khesari) in any form, colouring matter, pesticide and any obnoxious and toxic material.

f. Conform to Food Safety and Standards Act / Rules (formerly PFA).

Schedule showing maximum permissible limits of different Refractions in Fair Average Quality of Barley:

Foreign matter %	Other food grains %	Damaged grains %	Slightly damaged & touched grains %	Immature & Shrivelled grains %
0.75	5.00	3.00	8.00	8.00

Note:

1. Within the overall limits of foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.5%, of which Dhatura and Akra (Vicia species) shall not be more than 0.025% and 0.2 % by weight respectively.

2. Moisture in excess of 12% and upto 14% is to be discounted at full value. Stocks containing moisture in excess of 14% are to be rejected.

3. For weevilled grains determined by count, stocks containing weevilled grains in excess of 1% will be rejected. The rate of cut for weevilled grains will be @ Rs.2 per quintal.

4. In case of stocks having live infestation, a cut at the rate of Re. 2/- per quintal may be charged as fumigation charges.

Method of Analysis:

As given in Bureau of Indian Standard No. IS. 4333 (Part I and II) 1967 and as amended from time to time except for weevilled grains which are to be determined by count method.

DEFINITIONS OF REFRACTIONS:

As contained in BIS Specifications No. 2813-1995 as amended from time to time.

===========

संख्या 7-1/2016-एस. एंड आई.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

****

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 26 फरवरी, 2016

सेवा में,

सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
.....................सरकार (सभी राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन)

विषय: रबी विपणन मौसम 2016-17 के लिए गैहूं एवं जौं की एकसमान विनिर्दिष्टियां।

महोदय,

मुझे रबी विपणन मौसम 2016-17 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए खरीद हेतु गैहूं एवं जौं की एकसमान विनिर्दिष्टियों को इस पत्र के साथ भेजने का निदेश हुआ है।

2. आपसे अनुरोध है कि एकसमान विनिर्दिष्टियों का किसानों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि वे अपने उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और स्टॉक की अस्वीकृति से बचा जा सके। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा रबी विपणन मौसम 2016-17 के दौरान गैहूं एवं जौं की खरीद एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप कड़ाई से सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

संलग्न : यथोक्त

(डॉ सुभाष गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त (एस. एंड आर.)
दूरभाष: 23389625

9840C
04/03/16

प्रति प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
2. कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
3. कार्यकारी निदेशक (क्यूसी), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
4. महा प्रबंधक (क्यूसी), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
5. महा प्रबंधक (विपणन एवं खरीद), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
6. सभी कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम
7. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली
8. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
9. सचिव(खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई)/संयुक्त सचिव (इम्पैक्स, एसआरए एवं ईओपी)/संयुक्त सचिव(भंडारण)/ संयुक्त सचिव (बीपी एंड पीडी)
10. निदेशक (नीति)/निदेशक (एफसीआई)/ निदेशक (पीडी)/ निदेशक (वित्त)/संयुक्त आयुक्त (एस एंड आर)/उपायुक्त (एस एंड आर)
11. गुण नियंत्रण सैल/भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान के सभी कार्यालय।
12. अवर सचिव (नीति-1,2,3,4)/अवर सचिव (एफ़सी अकाउंट)
13. उप निदेशक (एस)/ उप निदेशक (क्यूसी)/ सहायक निदेशक (सीजीएएल)/ सहायक निदेशक (क्यूसी)
14. निदेशक (तकनीकी), एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने की कृपा करें।

नीलम कालरा

(नीलम कालरा)
तकनीकी अधिकारी (एस. एंड आर.)
दूरभाष: 23070474

रबी विपणन मौसम 2016-17 के लिए भारतीय गेहूं की सभी किस्मों की खरीद के लिए एकसमान विनिर्दिष्टियां

गेहूं निम्नानुसार होगाः

(क) जिसमें ट्राइटिकम वल्गर, टी. कॉम्पैक्टम, टी. स्फैरिओकोकोम, टी. ड्यूरम, टी. ऐस्टीवियुम और टी. डाइकोकोम के परिपक्व सूखे हुए दाने हों।

(ख) इनका आकार, बनावट, रंग और चमक प्राकृतिक हो।

(ग) मीठा, साफ, पुष्ट हो और बदबू, रंगहीनता, विषाक्त घास के बीजों सहित हानिकर तत्वो के मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शायी गई मात्रा को छोड अन्य सभी प्रकार की अशुध्दताओं से मुक्त हो।

(घ) अच्छी विपणीय अवस्था में हो।

(ङ) इसमें किसी भी रुप में अर्जिमोन मैक्सिकाना और लेथायरस सैटाइवस (खेसरी), रंगने वाले पदार्थ तथा खराब, हानिकर और विषाक्त पदार्थ का मिश्रण न हो।

(च) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम / नियमों (खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम) के अनुरुप हो।

गेहूं की उचित औसत गुणवत्ता में विभिन्न अपवर्तकों की अधिनियम अनुमेय सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची

विजातीय तत्व	अन्य खाद्यान्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोडे क्षतिग्रस्त दाने %	सिकुडे और टोटे दाने %
0.75	2.00	2.00	4.00	6.00

टिप्पणीः

1. 12% से अधिक और 14% तक नमी को पूर्ण कीमत पर छूट प्रदान की जाएगी। 14% से अधिक नमी वाले खाद्यन्न को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

2. विजातीय तत्व हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर जहरीले घास के बीज 0.4 % से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतूरा और अकरा (विसिया प्रजाती) वजन के अनुसार क्रमशः 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होगें।

3. भौतिक विश्लेषण के दौरान छिलके सहित दानों को खराब खाद्यान्न नही गिना जाएगा और छिलकों को निकाल दिया जाएगा और उन्हें जैविक विजातीय तत्व माना जाएगा।

4. क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर एरगोट प्रभावित दाने 0.05% से अधिक नहीं होंगे।

5. स्टाक में जीवित जन्तुबाधा होने के मामले में 2 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती को प्रधूमन प्रभार के रुप में वसूल किया जाएगा।

6. गणना द्वारा निश्चित किए गये घुने हुए दानों में 1% से अधिक घुने हुए दानों वाले गेहूं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। घुने हुए दानों के लिए 2 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

विश्लेषण की पध्दति

घुन लगे दानों को छोडकर जिन्हे गणना पध्दति द्वारा निश्चित किया जाना है, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो संख्या आई0एस0 4333 (भाग 1 और 2) 1967 के अनुसार।

अपवर्तकों की परिभाषा

भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टि संख्या 2813-1995 में निहित निर्देशों के अनुसार।

******

रबी विपणन मौसम 2016-17 के लिए भारतीय जौं की सभी किस्मों की खरीद के लिए एकसमान विनिर्दिष्टियां

जौं निम्नानुसार होगाः

(क) होर्डियम बल्गर के परिपक्व सूखे हुए दाने हों।

(ख) इनका आकार, बनावट और रंग एक समान हो।

(ग) मीठा, साफ, पुष्ट हो और बदबू, रंगहीनता हानिकर तत्वो के मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शायी गई मात्रा को छोड अन्य सभी प्रकार की अशुध्दताओं से मुक्त हो।

(घ) अच्छी विपणीय अवस्था में हो।

(ङ) इसमें किसी भी रुप में अर्जिमोन मैक्सिकाना और लेथायरस सैटाइवस (खेसरी), रंगने वाले पदार्थ, कीटनाशी तथा कोई खराब और विषाक्त पदार्थ का मिश्रण न हो।

(च) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम /नियमों (खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम) के अनुरुप हो।

जौं की उचित औसत गुणवत्ता में विभिन्न अपवर्तकों की अधिनियम अनुमेय सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची

विजातीय तत्व	अन्य खाद्न्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोडे क्षतिग्रस्त दाने और लगे हुए दाने %	अपरिपक्व और सिकुडे दाने %
0.75	5.00	3.00	8.00	8.00

टिप्पणीः

1. विजातीय तत्व हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर जहरीले घास के बीज 0.5 % से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतूरा और अकरा (विसिया प्रजाती) वजन के अनुसार क्रमशः 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होगें।

2. 12% से अधिक और 14% तक नमी को पूर्ण कीमत पर छूट प्रदान की जाएगी। 14% से अधिक नमी वाले खाद्यन्न को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3. गणना द्वारा निश्चित किए गये घुने हुए दानों में 1% से अधिक घुने हुए दानों वाले जौं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। घुने हुए दानों के लिए 2 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

4. स्टाक में जीवित जन्तुबाधा होने के मामले में 2 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती को प्रधूमन प्रभार के रुप में वसूल किया जाएगा।

विश्लेषण की पध्दति

घुन लगे दानों को छोडकर जिन्हे गणना पध्दति द्वारा निश्चित किया जाना है, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो संख्या आई0एस0 4333 (भाग 1 और 2) 1967 के अनुसार।

अपवर्तकों की परिभाषा

भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टि संख्या 2813-1995 में निहित निर्देशों के अनुसार।

******

26-2-16